III/निग0/सीधी/2017/4462

91

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर,

सर्किट कोर्ट–रीवा (म0प्र0)

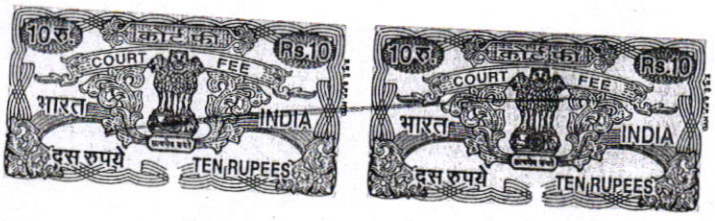

छोटेलाल गुप्ता तनय स्वर्गीय केदार नाथ गुप्ता, उम्री–50 वर्ष, पेशा–खेती, निवासी ग्राम–कुकुड़ीझर, तहसील–गोपदबनास, जिला–सीधी (म0प्र0) **हालपता** – आजाद नगर गली नम्बर–01 कोटहा, तहसील–गोपदबनास, पोस्ट–सीधी, जिला–सीधी (म0प्र0) .....**आवेदक/निगरानीकर्ता**

बनाम्

1. मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर सीधी, जिला–सीधी (म0प्र0)
2. वृहस्पति सिंह चौहान तनय स्वर्गीय छत्रजीत सिंह चौहान, पेशा–खेती,
3. बंसत प्रताप सिंह चौहान तनय स्वर्गीय छत्रजीत सिंह चौहान, पेशा–खेती,
4. महेश प्रताप सिंह चौहान तनय स्वर्गीय छत्रजीत सिंह चौहान, पेशा–खेती, गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक–02 ता 04 सभी निवासी ग्राम–कुकुड़ीझर, तहसील–गोपदबनास, जिला–सीधी (म0प्र0)

..... **अनावेदकगण/गैरनिगरानीकर्तागण**

निगरानी अन्तर्गत धारा 50(1) म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध राजस्व निरीक्षक शिवपुरवा, तहसील–गोपदबनास, जिला–सीधी (म0प्र0) के राजस्व प्रकरण क्रमांक–19/अ–12/2016–17 छोटेलाल गुप्ता बनाम् म0प्र0 शासन में पारित आदेश दिनांक–27.06.2017

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक दो/निग/सीधी/भूरा/2017/4462

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-06-18	आवेदक अभिभाषक श्री अमरेश कुमार अग्निहोत्री के प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क सुने गये। यह निगरानी राजस्व निरीक्षक शिवपुरा, तहसील गोपदबनास जिला सीधी के सीमांकन आदेश दिनांक 27.06.17 प्रकरण क. 19/अ12/16–17 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में उन्हीं तथ्यो को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उल्लेखित है। आवेदक अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति का अवलोकन किया गया। आदेश के अवलोकन से स्पश्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा स्वयं की उपस्थिति में विधिवत हल्का पटवारी से प्रतिवेदन, स्थल पंचनामा, फील्ड बुक, नक्शा ट्रेस आदि तैयार किया गया एवं सरहदी कास्तकारों को सूचना दी जाकर सीमांकन की पुष्टि की गई है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से अग्राह्य की जाती है तथा अधीनस्थ राजस्व अधिकारी द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 27.06.17 विधिवत होने से यथावत रखा जाता है। उभय पक्ष को सूचना दी जावे। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	